



पीएसयू द्वारा पोर्टफोलियो का विविधीकरण

Posted On: 21 DEC 2017 4:08PM by PIB Delhi

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के बोर्डों द्वारा अपने कारोबारी प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो के विविधीकरण के प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जाता है। सीपीएसई द्वारा तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता एवं लाभप्रदता पर विचार करने के बाद पर ही इन प्रस्तावों पर आगे काम किया जाता है। इसके अलावा, महारत्न एवं नवरत्न सीपीएसई के बोर्डों को अन्य बातों के अलावा ये अधिकार भी दिए गए हैं : (i) नई वस्तुएं खरीदने, प्रतिस्थापन, नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने, आधुनिकीकरण, इत्यादि के लिए सरकारी मंजूरी के बगैर ही पूंजीगत खर्च करना, (ii) वित्तीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश करना, (iii) निर्धारित शर्तों के अनुरूप विलय एवं अधिग्रहण करना। महारत्न एवं नवरत्न सीपीएसई के बोर्डों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण जुटाने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं।

इस आशय की जानकारी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

वीके/एम/आरआरएस/डीएस-6054

(Release ID: 1513632) Visitor Counter : 132

